

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश के आदेश एफ 10(4) ग्रुप-2/ एफडी/76/ दिनांक 13.03.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.98 एवं एफडी/ रूल्स/2010 दिनांक 25.04.2012 के अंतर्गत श्री सत्यप्रकाश गुप्ता , व्या. इतिहास राउमावि बामोर-टोंक को इनके आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने की तिथि 06.09.2018 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत जो अधिकतम 600/- (अखरे छः सो रूपये मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

IAS


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/वाणि-इति/विकलांग भत्ता/17-18

दिनांक:- 28/11/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबधित संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा.....
2. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय).....
3. संबधित मुख्य ब्लाक जिला शिक्षा अधिकारी.....
4. प्रधानाचार्य, राउमावि बामोर-टोंक
5. सत्यप्रकाश गुप्ता व्या. इतिहास, राउमावि बामोर टोंक
6. सिस्टम ऐनालिसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. निजि एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर